

आईटी नयिम, 2021 में संशोधन

प्रलिस के लयि:

सूचना प्रौद्योगिकी नयिम 2021 मे संशोधन, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 ।

मेन्स के लयि:

सूचना प्रौद्योगिकी नयिम 2021 में संशोधन, सरकारी नीतयिँ और हस्तकषेप ।

चरचा में क्योँ?

हाल ही में सरकार ने [सूचना प्रौद्योगिकी \(मध्यवर्ती दशा-नरिदेश और डजिटल मीडिया आचार संहति\) नयिम 2021](#) में संशोधनों को अधिसूचति कयि ।

- इनका उद्देश्य देश के नागरिकों के लयि इंटरनेट को सुलभ, सुरकषति, भरोसेमंद और जवाबदेह बनाना है ।

आईटी नयिम, 2021 में प्रमुख संशोधन:

- सोशल मीडिया मध्यस्थों के लयि नए दशा-नरिदेश:
 - वर्तमान में मध्यस्थों को केवल उपयोगकर्त्ताओं के लयि हानिकारक/गैरकानूनी सामग्री की कुछ श्रेणयिँ को अपलोड नहीं करने के बारे में सूचति करने की आवश्यकता है । ये संशोधन उपयोगकर्त्ताओं को ऐसी सामग्री अपलोड करने से रोकने के लयि उचति प्रयास करने हेतु मध्यस्थों पर एक कानूनी दायतिव आरोपति करते हैं । नया प्रावधान यह सुनिश्चति करेगा कि मध्यस्थ का दायतिव केवल एक औपचारकता नहीं है ।
 - इस संशोधन में मध्यस्थों को भारतीय संवधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत उपयोगकर्त्ताओं को मलिे अधिकारों का सम्मान करने की आवश्यकता है, इसलयिे इसमें उचति तत्परता, गोपनीयता और पारदर्शति की अपेक्षा की गई है ।
 - मध्यस्थ के नयिमों और वनियिमों के प्रभावी संचार हेतु यह महत्त्वपूर्ण है कि संचार कषेत्रीय भारतीय भाषाओं में भी कयि जाए ।
- नयिम 3 में संशोधन:
 - नयिम 3 (नयिम 3(1)(बी)(ii)) के उपखंड 1 के आधारों को 'मानहानिकारक' और 'अपमानजनक' शब्दों को हटाकर युक्तसिंगत बनाया गया है ।
 - कया कोई सामग्री मानहानिकारक या अपमानजनक है, यह न्यायकि समीक्षा के माध्यम से नरिधारति कयि जाएगा ।
 - नयिम 3 (नयिम 3(1)(बी)) के उपखंड 1 में कुछ सामग्री श्रेणयिँ को, वशिष रूप से गलत सूचना और ऐसी अन्य सामग्री से नपिटने के लयि फरि से तैयार कयि गया है जो वभिन्नि धार्मकि/जातिसमूहों के बीच हसिा को उकसा सकती है ।
- शकियत अपील समति का गठन:
 - उपयोगकर्त्ता शकियतों पर मध्यस्थों द्वारा लयि गए नरिणयों या नषिकरयिता के खलिाफ उपयोगकर्त्ताओं को अपील करने की अनुमति देने हेतु 'शकियत अपील समतियिँ' का गठन कयि जाएगा ।
 - हालाँकि उपयोगकर्त्ताओं को हमेशा कसिी भी समाधान के लयि न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने का अधिकार होगा ।

प्रमुख आईटी नयिम, 2021:

- यह सोशल मीडिया का सक्रयि होना अनविर्य करता है:
 - प्रमुख तौर पर IT नयिम (2021) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस को अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री के संबंध में अधिक सक्रयि रहने के लयि बाध्य करता है ।
- शकियत अधिकारी की वयवस्था:
 - उन्हें एक शकियत नवारण तंत्र स्थापति करने और नरिधारति समय-सीमा के भीतर गैर-कानूनी एवं अनुपयुक्त सामग्री को हटाने की आवश्यकता होती है ।

- प्लेटफॉर्म के नविवरण तंत्र का शिकायत अधिकारी उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को प्राप्त करने और हल करने के लिये ज़म्मेदार है।
- उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन सुरक्षा और गरमा सुनिश्चिती करना:
 - बचौलिये ऐसी सामग्री की शिकायतों की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर इसे हटाएंगे या अक्षम करेंगे जो व्यक्तियों की नजिता को उजागर करती हैं, ऐसे व्यक्तियों को पूर्ण या आंशिक नग्नता या यौन क्रिया में दखिाली हैं या प्रतरूपण की प्रकृति में हैं, जसिमें मॉर्फ्ड इमेज़ आर्दा शामिल हैं।
- गोपनीयता नीतियों के बारे में उपयोगकर्ताओं को शकिषति करना:
 - सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की गोपनीयता नीतियों को यह सुनिश्चिती करना चाहिये कि उपयोगकर्ताओं को कॉपीराइट की गई सामग्री और ऐसी कसिी भी चीज़ को प्रसारति न करने के बारे में शकिषति कयिा जाए, जसिे मानहानिकारक, नस्लीय या जातीय रूप से आपत्तजिनक, पीडोफलिकि, भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा, या संप्रभुता को खतरे में डालने वाला या कसिी भी चीज़ का उल्लंघन माना जा सकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. भारत में नमिनलखिति में से कसिके लयिे साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रपिर्त करना कानूनी रूप से अनविर्य है? (2017)

1. सेवा प्रदाताओं
2. डेटा केंद्र
3. कॉरपोरेट नकियाय

नीचे दयिे गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयिे:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- सूचना प्रौद्योगिकी अधनियिम, 2000 (IT Act) की धारा 70 B के अनुसार, केंद्र सरकार ने अधसूचना द्वारा घटना प्रतकिरयिा के लयिे राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतकिरयिा टीम (CERT-In) नामक एक एजेंसी का गठन कयिा गया है।
- केंद्र सरकार ने आईटी अधनियिम, 2000 की धारा 70 B के तहत वर्ष 2014 में CERT-In के लयिे नियम स्थापति और अधसूचिती कयिे। नियम 12 (1) (A) के अनुसार, घटना होने के उचति समय के भीतर CERT-In को साइबर सुरक्षा की घटनाओं के लयिे सेवा प्रदाताओं, मध्यस्थों, डेटा केंद्रों तथा कॉरपोरेट नकियायों हेतु रपिर्त करना अनविर्य है।

अतः वकिलप (d) सही है।

स्रोत: पी.आई.बी.